

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018

[www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in)

दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.8(94)RSSB/प.आ./सूचना सहायक सी.भ.प./2023/823

दिनांक: 22/12/23

## विज्ञापित

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञापन संख्या 01/2023 क्रमांक 1307 दिनांक: 16.01.2023, के द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे उक्त परीक्षा का आयोजन निम्नांकित तालिका में वर्णित कार्यक्रमानुसार किया जावेगा:-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक	परीक्षा का समय
1.	सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, 2023	21.01.2024	प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक

अतः उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि:-

- आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञापितियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
- परीक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे पॉच विकल्प/गोले दिए जायेगे। पहले चार विकल्प/गोला A,B,C और D उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा पॉचवा विकल्प/गोला 'E' 'अनुत्तरित प्रश्न' से संबंधित होगा।
- अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर, संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु A,B,C या D अर्थात पहले चार में से केवल एक विकल्प/गोला नीले बॉल पॉइन्ट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पॉचवा विकल्प/गोले 'E' को गहरा करना होगा।
- यदि पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प/गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिये जायेगे।
- 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प/गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे।
- उक्त परीक्षा के लिए "प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड करने की दिनांक के लिए अलग से यथासमय सूचित कर दिया जायेगा। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
- परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर प्रकाशित विज्ञापित द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।

**चेतावनी:** यदि कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए या अनुचित तरीक अपनाते हुए पाया जाता है या उसके पास कोई अनाधिकृत सामग्री पाई जाती है तो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर दर्ज की जाएगी और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा। उसे बोर्ड की भविष्य की सभी परीक्षाओं से स्थायी रूप से विवर्जित भी किया जा सकता है।

(मेजर जनरल आलोक राज)

अध्यक्ष